कार्यालय प्रभारी अधिकारी, कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी, देहरादून

पत्रांकः KVK/DUN/227/0

दिनांकः 12/04/19

निविदा सूचना/नीलामी की शर्तें

कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी मे स्थित आम तथा लीची फल बहार की बिक्री खुली बोली के माध्यम से **दिनांकः.30.04.2019** को अपराहन् 3:00 बजे **कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी, देहरादून** में की जानी प्रस्तावित है। **इच्छुक बोलीदाता अर्नेस्टमनी डिपोजिट तथा अपने पहचान पत्र की छायाप्रति कार्यालय में दिनांकः30.04.2019 की दोपहर 12:30 बजे तक जमा कर बोली बोलने हेतु पास (अधिकृत पत्र) प्राप्त कर लें। उसके पश्चात पास नहीं दिया जायेगा। बिना अधिकृत पास के कोई भी व्यक्ति बोली बोलने हेतु अधिकृत नहीं होगा।**

1. बोली/नीलामी में प्रतिभाग करने के इच्छुक व्यक्ति बोली हेतु पास प्राप्त करने से पूर्व बाग का भली–भांति निरीक्षण कर लें तथा बोली हेतु पास लेते समय अपना पहचान पत्र की छायाप्रति तथा अर्नेस्ट मनी (राष्ट्रीय कृत/शैड्यूल/सहकारी बैंक की एफ0डी0/डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक) केन्द्र पर जमा करें। आम तथा लीची हेतु अलग–अलग बोली बोली जायेंगे तथा उनके साथ अलग–अलग पहचान पत्र की छायाप्रति तथा अलग–अलग अर्नेस्ट मनी (राष्ट्रीय कृत/शैड्यूल/सहकारी बैंक की एफ0डी0/डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक) लगाना अनिवार्य है।

   बोली में इच्छुक व्यक्तियों के पहचान पत्र की छायाप्रति तथा अर्नेस्ट मनी केवल व्यक्तिगत रुप से **दिनांकः.30.04.2019 की दोपहर 12:30 बजे तक कार्यालय में जमा की जायेगी। तथा बोली हेतु पास दिये जायेंगे, उसके पश्चात पास नहीं दिये जायेंगे। आम हेतु रू0 10,000.00 तथा लीची हेतु रू0 5,000.00 की अर्नेस्ट मनी जो कि राष्ट्रीय कृत/शैड्यूल/सहकारी बैंक की एफ0डी0/डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप मे होगी तथा प्रभारी अधिकारी कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी, देहरादून के नाम पर बंधक होगी, लगाना अनिवार्य होगा। बिना अर्नेस्ट मनी जमा किये किसी भी व्यक्ति को नीलामी मे प्रतिभाग करने का अधिकार नही होगा। अर्नेस्ट मनी नकद जमा नही की जायेगी।**

2. प्रथम उच्च बोलीदाता द्वारा जमा की गयी अर्नेस्ट मनी को छोड़कर शेष की अर्नेस्टमनी वापस कर दी जायेगी।

3. सफल बोलीदाता को उच्चतम राशि की 50 प्रतिशत अग्रिम के रूप मे नीलामी समाप्ति के तुरन्त बाद जमा करना होगा। इस राशि मे पहले जमा की गयी अर्नेस्ट मनी समायोजित नही की जायेगी। यदि सम्बन्धित बोलीदाता 50 प्रतिशत अग्रिम धनराशि जमा करने मे असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी तथा द्वितीय उच्च निविदादाता की निविदा पर विचार किया जा सकता है।

निविदा समिति को अधिकार होगा कि बिना कारण बताये किसी एक अथवा समस्त निविदा को अस्वीकृत कर दें।

धनराशि नकद नहीं ली जायेगी, समस्त भुगतान चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाना होगा।

4. सक्षम अधिकारी द्वारा निविदा की स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त ठेकेदार को अवशेष धनराशि जमा करने की सूचना डाक द्वारा दी जायेगी तथा ठेकेदार को सूचना जारी होने के एक सप्ताह के अन्दर अथवा बाग का कब्जा लेने से पूर्व जो भी पहले हो ठेके की सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी। इस राशि मे क्रेता द्वारा पूर्व मे जमा की गयी अर्नेस्टमनी को समायोजित नही किया जायेगा। यदि क्रेता सम्पूर्ण राशि जमा करने मे असफल रहता है अथवा अवशेष राशि का कोई अंश जमा नही करता है तो शेष अंश राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलम्ब शुल्क लिया जायेगा। अर्नेस्ट मनी को फसल समाप्ति के पश्चात नियमानुसार लौटा दिया जायेगा।
5. यदि अर्नेस्टमनी के रुप में सफल बोलीदाता द्वारा डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक जमा किया गया हो, तो बाग में कब्जा लेने से पूर्व उसे अर्नेस्टमनी के रुप में एफ0डी0आर0 जमा करानी होगी तथा डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक उसे वापस कर दिया जायेगा।
6. सफल बोलीदाता को उच्चतम राशि की 50 प्रतिशत अग्रिम के रूप मे नीलामी समाप्ति के तुरन्त बाद जमा की जाने वाली राशि नकद नही ली जायेगी। यह राशि बैंक चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप मे ही ली जायेगी। इसके अतिरिक्त अवशेष 50 प्रतिशत राशि भी नकद नही ली जायेगी। यह राशि बैंक चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ही ली जायेगी। अतः चैक से भुगतान हेतु क्रेता का स्वयं का बैंक खाता होना भी अनिवार्य है। किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते के माध्यम से यह राशि स्वीकार नही की जायेगी।

7. निविदा शर्तों के पालनार्थ ठेकेदार को अपने व्यय पर रू0 100.00 नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से एक अनुबन्ध करना होगा।

8. नीलामी के सम्बन्ध मे किसी वाद–विवाद मे कुलपति महोदय का निर्णय अन्तिम एवं दोनो पक्षों को मान्य होगा।
9. बाग निगरानी, बाग की सफाई, फलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
10. ठेकेदार अथवा उसके कर्मियों द्वारा केन्द्र अथवा विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने की दशा मे क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व ठेकेदार को होगा।
11. बाग पर कब्जा लेने की तिथि से फसल की समाप्ति तक मान्य होगा।
12. ठेकेदार के कब्जा लेने के समय परिसर मे कार्य पर रखने वाले मजदूरों तथा अन्य व्यक्ति का पुलिस वेरिफिकेशन कराकर कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी के कार्यालय मे जमा करना होगा।
13. यह बिक्री केवल केन्द्र के आम बाग, लीची बाग तक ही सीमित होगी, ठेकेदार या उसके कर्मियों द्वारा किसी भी दशा मे केन्द्र के आवासीय परिसर के समीप, कार्यालय मे समीप लगे फल वृक्षों से फल तुड़ाई करने पर ठेकेदार के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।
14. **प्रत्येक बोलीदाताओं को बोली बोलने हेतु दिनांकः दिनांकः.30.04.2019 की दोपहर 12:30 बजे तक कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी देहरादून के कार्यालय में स्वयं के खर्च पर उपस्थित होना होगा।**

for

प्रभारी अधिकारी
कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी, देहरादून

प्रतिलिपिः

1. कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी के सूचना पट्ट पर ।
2. निविदा दाता ।